छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–28/सात–1/2014 नया रायपुर दिनांक 05 OCT 2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय :– **भू–अर्जन की कार्यवाही से संबंधित अधिसूचनाओं का विभाग के वेबसाईट में प्रकाशन।**

वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत की जाती है। नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 में भूमि अर्जन की कार्यवाही को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही तथा जारी अधिसूचनाओं को तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय, विकासखण्ड कार्यालय, स्थानीय निकाय के कार्यालय, छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशन करने के साथ–साथ विभाग के वेबसाईट में भी प्रकाशित किए जाने का वैधानिक प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान वैधानिक तथा आज्ञापक है, अतः प्रत्येक भू–अर्जन प्रकरण में उक्त प्रावधानों का पालन अनिवार्य है।

2/ यह देखा जा रहा है, कि वर्तमान में जिला कलेक्टर के द्वारा अधिसूचनाओं को विभाग के वेबसाईट में प्रकाशन हेतु राजस्व विभाग में भेजा जा रहा है, इससे विभाग के वेबसाईट में प्रकाशन करने में समय लग रहा है एवं कठिनाई भी हो रही है। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि राजस्व विभाग के वेबसाईट में भू–अर्जन अधिसूचनाओं के प्रकाशन की कार्यवाही जिला स्तर पर कर लिया जावे।

3/ इसके लिए <u>"भू–अर्जन"</u> वेबसाईट तैयार किया गया है तथा राजस्व विभाग के पूर्व से संधारित वेबसाईट **<u>cg.nic.in/revenue</u>** में <u>"भू–अर्जन"</u> के नाम से एक विडों दिया गया है। प्रत्येक जिले को अलग–अलग User ID तथा Password आबंटित किया गया है। User ID तथा Password आपके जिले के एन.आई.सी. को भेज दिया गया है। उक्त User ID तथा Password का उपयोग कर अधिसूचना का प्रकाशन (Upload) जिला स्तर से ही किए जाने का प्रावधान किया गया है।

4/ User ID तथा Password का उपयोग कर अधिसूचनाओं को Upload करने की कार्यवाही जिला स्तर के भू–अर्जन प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावे। इसके लिए जिला भू–अर्जन शाखा के प्रस्तुतकार को एन.आई.सी. द्वारा प्रशिक्षण दे दिया

जावे। जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी अधिसूचना जारी कर उसे विभाग के वेबसाईट में Upload करने का प्रस्ताव अपने जिले के भू–अर्जन अधिकारी को भेजें तथा जिला स्तर पर भू–अर्जन शाखा में एक कर्मचारी द्वारा इसे संकलित कर वेबसाईट में Upload करने की कार्यवाही की जावे।

5/ भू–अर्जन के वेबसाईट में प्रकाशन के लिए अलग–अलग धारा के तहत जारी अधिसूचनाओं के लिए अलग–अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं।

6/ अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि आप नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत जारी किए जाने वाले विभिन्न अधिसूचनाओं को जिला स्तर पर राजस्व विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने की व्यवस्था करें। राजपत्र में प्रकाशन के लिए उक्त अधिसूचना को पूर्ववत नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय राजनादगांव को भेजने की कार्यवाही करें।

(के.आर. पिस्दा)
सचिव 3/10/2016
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग